न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील रसद प्रकरण संख्या 02 / 2019 (GCMS 2019/00034)

गोविन्द राम पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास जाति अग्रवाल निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **प्रोपराईटर फर्म** गोविन्द राम किशन लाल, इन्द्रा मार्केट, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगा[illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिह भनोत एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत ने कथन किया कि प्रकरण का गुण दोष के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी सादुलशहर में उचित मूल्य दुकानदार (अनुज्ञापत्रधारी) है। अपीलार्थी के विरूद्ध कृष्ण लाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल नामक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गयी कि दिनांक 14.11.2016 को 10 किलोग्राम गेहूं, दिनांक 20.12.2016 को 11.50 लीटर कैरोसीन तेल, दिनांक 15.01.2017 को 10 किलोग्राम गेहूं, दिनांक 24.01.2017 को 2.5लीटर केरोसीन तेल, 10 किलाग्राम गेहूं दिनांक 12.02.2017 को 10 किलोग्राम गेहूं व दिनांक 25.02.2017 को 3 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया। अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई गलत वितरण नहीं किया गया है एवं शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती ममता को अधार कार्ड के आधार पर दिनांक 04.[illegible]7 को 5 किलोग्राम गेहूं स्वयं किशनलाल के आधार कार्ड के आधार पर दिनांक 16.03.2[illegible] को 10

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

किलोग्राम गेहूं व इसी आधार कार्ड पर दिनांक 16.03.2018 को पुनः 10 किलोग्राम गेहूं वितरित होना पाया गया एवं शिकायतकर्ता के राशन कार्ड में दो यूनिट है जिनको 10 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह देय है, लेकिन डीलर के द्वारा दिनांक 16.03.2018 को 10–10 किलोग्राम गेहूं दो बार दिया गया।

दिनांक 14.11.2016 को 10 किलोग्राम गेहूं, दिनांक 20.12.2016 को 10 किलोग्राम गेहूं, दिनांक 20.12.2016 को 11.5 लीटर कैरोसीन तेल, दिनांक 15.01.2017 को 10 किलोग्राम गेहूं व 3 लीटर केरोसीन तेल बिना आधार कार्ड सत्यापन के वितरण किया गया है। जिला रसद अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को अनुचित मानते हुए अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया।

जिला रसद अधिकारी का आदेश केवल मात्र इस आधार पर पारित किया गया है कि डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितता की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध लेशमात्र भी आरोप नहीं था और न ही कोई ऐसा आरोप प्रमाणित हुआ कि अपीलार्थी ने उचित मूल्य की दुकान के गेहूं अथवा केरोसीन तेल को किसी अन्य को कालाबाजारी में बेचान किया अथवा उसे खुर्द–बुर्द किया, अपितु ये प्रमाणित है कि अपीलार्थी के द्वारा वितरण तो सही किया गया है, लेकिन आधार कार्ड के सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री वितरित की जा सकती है जो अपीलार्थी के द्वारा सत्यापन से पूर्व कर दी गयी। अपीलार्थी के द्वारा सामग्री पंजीकृत उपभोक्ता को ही दी गयी है। यदि आधार कार्ड के सत्यापन के बिना वितरण हुआ है तो यह एक मानवीय त्रुटि हो सकता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बदनीयति अपीलार्थी की प्रमाणित नहीं होती है और मात्र इसके आधार पर अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को अमानत राशि जब्त करते हुए किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी सन् 1990 से उचित मूल्य का दुकानदार है और सदैव निष्ठा से उपभोक्ताओं को सामग्री वितरित करता आया है। अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में कभी भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा और न ही अपीलार्थी को सामग्री वितरण में कभी अनियमितता का दोषी पाया गय। अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना सादुलशहर में शिकायतकर्त्ता के द्वारा प्रथम सूचना दर्ज करवाये जाने का प्रश्न है, यह सूचना शिकायतकर्त्ता के द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के कारण ही जिला रसद अधिकारी को शिकायत की गई और शिकायत में गलत तथ्य दिये गये जबकि जांच में यह प्रमाणित था कि गेहूं और मिट्टी के तेल का वितरण स्वयं उसने और उसकी धर्मपत्नी के द्वारा प्राप्त किया गया है।

जिला रसद अधिकारी का आदेश विधिसम्मत नहीं है और न हीं तथ्यों पर आधारित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी आदेशों की पालना मे व्यक्ति उसी स्थिति में दोषी करार दिया जा सकता है, यदि उसके द्वारा किसी आदेश अथवा आदेश के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्र की अवहेलना बदनीयति से की गयी हो। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी के आदेश दिनांक 28.12.2018 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम पुत्र किशनलाल के विरूद्ध श्री कृष्ण लाल द्वारा शिकायत की गई जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम द्वारा दिनांक 14.11.2016 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, दिनांक 20.12.2016 को 11.50 लीटर केरोसीन, दिनांक 15.01.2017 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, [illegible] 24.01.2017 करे 2.50 लीटर केरोसीन व 10.00 कि.[illegible] को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, दिनांक 25.02.2017 को 3.00 लीटर के[illegible]सीन का उठाव तो किया परन्तु उसको वह भौतिक रूप से नहीं दिया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेशांक एफ13(49)खा.वि./आवंटन/2015–।। दिनांक 05.08.2016 द्वारा माह सितम्बर 2016 से जरिये पोस मशीन की राशि वितरण की व्यवस्था को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया था। इस संबंध में निलम्बित राशन डीलर को पोस मशीन संख्या 21613 आवंटित की गई थी। विभागीय निर्देशानुसार प्रारम्भ में मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के स्थान पर सीधे राशनकार्ड संख्या अंकित करके राशन उठाव का विकल्प दिया गया, जिसका दुरूपयोग दुकानदार द्वारा किया गया व शिकायतकर्त्ता के परिवार का राशन बिना आधारकार्ड सीडिंग करके उठाव करने का कृत्य किया है जबकि विभागीय निर्देशानुसार दुकानदारों द्वारा राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के आधारकार्ड अपनी पोस मशीन के जरिये उनके राशनकार्डों के साथ सीडिंग किये जाने चाहिए थे।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त शिकायत का ऑनलाईन ईपीडीएस सॉफ्टवेयर से परीक्षण करने पर पाया कि डीलर द्वारा दिनांक 19.04.2017 को शिकायतकर्त्ता की पत्नी ममता रानी का राशन आधारकार्ड संख्या 546776831967 से 5.00 कि.ग्रा. गेहूं का उठाव किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 05.08.2016 की व्यवस्था को अपने संशोधित आदेश दिनांक 24.03.2017 से विलोपित कर दिया व आदेशित किया कि अप्रैल, 2017 से पोस मशीन पर आधार बायोमैट्रिक सत्यापन उपरांत ही राशन सामग्री वितरण किया जा सकेगा। इस कारण राशन डीलर द्वारा ममता रानी के गेहूं का उठाव करने हेतु उक्त आधार कार्ड को पोस मशीन पर शिकायतकर्त्ता के [illegible] राशनकार्ड के साथ सीडिंग किया गया परन्तु ऑनलाईन ईपीडीएस सॉफ्टवेयर से परीक्षण करने पर तथ्य

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सामने आया कि उक्त आधार कार्ड ममता पत्नी कृष्णलाल का नहीं होकर गौरी रानी पत्नी गगनदीप सोनी का था, जिसे राशन डीलर द्वारा अपनी पोस मशीन के जरिये शिकायतकर्त्ता के परिवार राशनकार्ड के साथ सीडिंग कर दिया गया व गौरी पत्नी गगनदीप सोनी का अंगूठा लगाकर राशन का उठाव कर लिया गया। वर्तमान में गौरी पत्नी गगनदीप सोनी का उक्त आधार कार्ड उकसे स्वयं के राशनकार्ड संख्या 10856011600354 के साथ सीडिंग करवाया हुआ हे। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम पुत्र किशनलाल द्वारा गौरी रानी पत्नी गगनदीप सोनी का आधार कार्ड संख्या 546776531967 उसको आवंटित पोस 21613 के जरिये ममता पत्नी कृष्णलाल के राशनकार्ड संख्या 200003309480 के साथ सीडिंग किया गया व गौरी रानी पत्नी गगनदीप सोनी की अनभिज्ञता के आधार पर उसका बायोमेट्रिक तरीके से अंगूठा लगाकर राशन उठाव किया गया, जो कि राजकीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना व दुरूपयोग की श्रेणी में आता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 14.11.2016 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, दिनांक 20.12.2016 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, 20.12.2016 को 11.50 लीटर केरोसीन, दिनांक 15.01.2017 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, 24.01.2017 को 2.50 लीटर केरासीन, 12.02.2017 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, 25.01.2017 को 3.00 लीटर केरोसीन बिना आधारकार्ड सत्यापन के वितरण होना दर्शाया है। **नियमानुसार किसी भी उपभोक्ता को आधार कार्ड सत्यापन के उपरान्त ही राशिन सामग्री वितरित की जा सकती है। डीलर द्वारा बिना आधारकार्ड सत्यापन व गलत आधारकार्ड सी[illegible]के राशन वितरण करना नियम विरूद्ध कृत्य है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम पुत्र किशनलाल द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तत प्रदत्त प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करना पाये जाने के कारण उसको उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र दिनांक 28.12.2018 को निरस्त किया गया। चूंकि उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम पुत्र किशन लाल द्वारा राशन वितरण संबंधी कार्य नियमानुसार व राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में अंकित शर्तों के राज्य सरकार के नियमानुसार संपादित नहीं किया गया है। इसलिए उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम पुत्र किशनलाल तहसील सादुलशर का प्राधिकार पत्र निरन्त करने संबंधी निर्णय को यथावत रखने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम पुत्र किशनलाल की शिकायत की जांच करने दिनांक 14.11.2016 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, दिनांक 20.12.2016 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, 20.12.2016 को 11.50 लीटर केरोसीन, दिनांक 15.01.2017 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, 24.01.2017 को 2.50 लीटर केरासीन, 12.02.2017 को 10.00 कि.ग्रा. गेहूं, 25.01.2017 को 3.00 लीटर केरोसीन बिना आधारकार्ड सत्यापन के वितरण होना दर्शाया है। जबकि किसी भी उपभोक्ता को आधार कार्ड सत्यापन के उपरान्त ही राशिन सामग्री वितरित की जा सकती है। इस प्रकार उक्त डीजर द्वारा बिना आधारकार्ड सत्यापन व गलत आधारकार्ड सीडिंग करके वितरण करना नियम विरूद्ध पाया गया है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेशांक एफ13(49)खा. वि./आवंटन/2015–।। दिनांक 05.08.2016 की व्यवस्था को अपने संशोधित आदेश दिनांक 24.03.2017 से विलोपित कर दिया व आदेश किया कि अप्रैल 2017 से पोस मशीन पर आधार बोयामैट्रिक सत्यापन उपरान्त ही राशन सामग्री वितरण किया जा सकेगा, जिसकी उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम पुत्र किशनालाल ने पालना नहीं की।

उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम पुत्र किशनलाल तहसील सादुलशहर द्वारा राशन वितरण संबंधी कार्य नियमानुसार व राजस्थान खाद्यान व अन्य आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में अंकित शर्तों के राज्य सरकार के नियमानुसार संपादित नहीं करने के कारण उचित मूल्य दुकानदार गोविन्दराम पुत्र किशनलाल तहसील सादुलशहर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी/उचित मूल्य दुकानदार गोविन्दराम पुत्र किशनलाल तहसील सादुलशहर का प्राधिकार पत्र रद्द किया जाता है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश 28.12.2018 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर